न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1766 / 2025
किशनपुर थाना कांड सं0– 230 / 2025

देवसुन्दरी देवी पति बिनोद कुमार भारती
सा0– आशनपुर कूपहा, वार्ड नं0 01, थाना– किशनपुर, जिला–सुपौल.....आवेदक
बनाम्
बिहार सरकार.....विपक्षी

07/04/26

प्रस्तुत जमानत आवेदन प्रारंभ में कुल 2 नामित अभियुक्तगण के लिए दाखिल किया गया था परंतु वाद में अभियुक्त बिनोद कुमार भारती का अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेने के कारण इस वाद में नामांकित कुल एक प्रार्थी अभियुक्ता देवसुन्दरी देवी के लिए यह अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित किया गया एवं उनकी सुनवाई की गयी।

प्रार्थी अभियुक्ता देवसुन्दरी देवी की ओर से किशनपुर थाना कांड संख्या– 230 / 2025 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामनाथ मंडल द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्ता बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्ता की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उनपर लगाया गया अरोप झूठा एवं मनगढ़न्त है। प्रार्थी अभियुक्ता का कहना है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा सूचक द्वारा उनके जमीन का हिस्सा छोड़ने का दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा किया गया है। प्रार्थी अभियुक्ता का कहना है कि उनपर मारपीट करने का कोई आरोप नहीं बनता है तथा कथित चोट झूठा एवं अविश्वसनीय है। प्रार्थी अभियुक्ता धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान लोक अभियोजक मो0 अबु जफ़र द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्ता के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।

प्रस्तुत वाद सूचिका कुसुमवती देवी के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्ता सहित कुल 2 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115, 109, 76, 352, 351(2), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचिका का कथन है कि उसकी शादी 2011 में अंतरजातीय विवाह विपिन साफी से हुई उनके पति विपिन साफी कुल तीन भाई हैं जो इस प्रकार है विपिन साफी, विनोद कुमार भारती उर्फ विनोद कुमार साफी एवं शंभू साफी। सूचिका का कहना है कि उनके पति एवं उनके दोनों भाई के बीच पुश्तैनी जमीन व संपत्ति का आपसी बंटवारा नहीं होने के कारण अक्सर विवाद होते रहता है। उसके पति विपिन साफी एवं विनोद कुमार भारती संयुक्त रूप से एक ही बिजली के मीटर से बिजली का उपयोग करते हैं जो कि उसकी सास रासो देवी के नाम से है। दिनांक 23.10.2025 को जब वह काम करके शाम को घर आई तो विनोद कुमार भारती उसके घर का बिजली काट दिया था जब वह पूछी कि हम भी बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो उसका बिजली का कनेक्शन क्यों काटा इसी बात को लेकर पहले से बने हुए मंशा व योजना के साथ उसके साथ वह दोनों पति–पत्नी गाली गलौज करने लगे। गाली देने से जब सूचिका मना की तो उसे जबरण घर से घसिट कर बाहर लाया गया और लोहे के मोटे रॉड 20 एम०एम० से उसके सिर पर 10 से अधिक बार प्रहार किया। जिससे उसका सिर फट गया एवं पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, जान से मारने की नीयत से शरीर के अन्य हिस्सों पर भी लोहे

लगातार

न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 1766 / 2025
किशनपुर थाना कांड सं0– 230 / 2025

07/04/26 **लगातार**	की रॉड एवं लात से वार किया जिससे वह बेहोश हो गई। उसके पति घर से बाहर कमाने गया था यह घटना शाम 7.00 बजे का था। घटना के वक्त पास के कई महिलाएं मौजूद थी जिसे रोकने पर भी यह दोनों पति पत्नी नहीं रूके एवं उसे बुरी तरह से घायल करके घर से बाहर कर दिया एवं उसे धमकी दिया कि अगर उसपर कोई मुकदमा की तो जान से मार दूंगा। सूचिका पूरी रात दर्द से कभी बेहोश होती तो कभी चिल्लाती पर वे लोग देखने तक नहीं आया। सुबह में किसी तरह टेंपो करके निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल गई जहां उसे छः से अधिक टाका लगाकर सिर में कुछ दवाई देकर एक्स–रे करने के बाद सीटी स्कैन के लिए एवं बेहतर ईलाज के लिए सुपौल सदर अस्पताल रेफर किया गया जहां से वह किसी तरह अपना तत्काल प्राथमिक उपचार एवं सीटी स्कैन कराकर दवा ली। सूचिका पूरी तरह ठीक नहीं हुई और उसका ईलाज चल रहा है। पीटते वक्त विनोद कुमार भारती द्वारा उसे धक्का दिया जा रहा था और उसके बदन पर वस्त्र भी छत–विछत हो गया था जो देखकर महिलाओं के द्वारा ठीक किया गया। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा प्रार्थी अभियुक्तों पर गाली–गलौज, मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्ता प्राथमिकी के नामजद अभियुक्ता है। कांड दैनिकी के कंडिका 6 एवं 7 में साक्षी रामलखन पंडित एवं ममता देवी का बयान दर्ज है जिसमें उसने बताया कि हल्ला की आवाज पर वह घर से बाहर निकले तो देखे कि प्रार्थी अभियुक्ता एवं सूचिका आपस में गाली गलौज तु–तु मैं–मैं एवं मारपीट कर रहे थे जिसे अगल बगल के लोगों ने मिलकर बीच बचाव कर झगड़ा शांत कराये। कंडिका 31 से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कांड दैनिकी के कंडिका 67 में जख्मी / सूचिका का जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है जिससे स्पष्ट होता है कि जख्म कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित की गयी है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद है एवं उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं प्रार्थी अभियुक्ता महिला हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्ता देवसुन्दरी देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्ता की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्ता को मो0 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्ता का एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्ता बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय उसका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगा। 3. प्रार्थी अभियुक्ता वाद के विचारण में सहयोग करेगा। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	